

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- स. 3-6(1)स्था/मंत्रा/अभि/19/10898-954 दिनांक :- 14/8/19

:- आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 36 के अन्तर्गत अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स लेवल -12 में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	3	4	5	6	7
1.	श्री जसवन्त सिंह चन्द्रावत पुत्र श्री मोहन लाल	एस.सी	स०नि०अ० बून्दी	दिनांक 1.4.2019	
2.	श्री सतीश कुमार मित्तल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	सामान्य	स०नि०अ० हनुमानगढ़	दिनांक 1.4.2019	
3.	श्री सीताराम पुत्र श्री डूंगजी	सामान्य	स०नि०अ० अजमेर	दिनांक 1.4.2019	
4.	श्री सुरेश चंद जैन पुत्र श्री टीकमचंद जैन	सामान्य	—	दिनांक 1.4.2019	से०नि० दि० 31.5.19
5.	श्री कमलेश कुमार आत्रेय पुत्र श्री सन्तोष कुमार	सामान्य	स०नि०अ० जयपुर देहात	दिनांक 1.4.2019	


पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 04.07.2019 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।


(एस०एन०व्यास)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
4. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर